न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

तारीख हुक्म	:: आदेश :: **बलराम बनाम सरकार** **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 202/2025, पुलिस थानाः सूरवाल** **सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र संख्याः 74/2026** **नियमित आपराधिक प्रकरण संख्याः 1986/2025**	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
06.02.2026	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी बलराम पुत्र जगदीश प्रसाद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 व 503 BNSS का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी बलराम के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना सूरवाल ने दिनांक 18.10.2025 को अवैध बजरी के संबंध में प्रार्थी के वाहन को गलत प्रकार से जप्त कर लिया है एवं उक्त पुलिस थाने ने पंचनामा एवं अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए खनिज एवं भू विज्ञान विभाग सवाई माधोपुर को सूचित नहीं किया था। प्रार्थी का वाहन दिनांक 18.10.2025 को जप्त हो चुका है जबकि अधिग्रहण की समय सीमा दिनांक 18.01.26 को समाप्त हो जाती है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत–मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के वाहन को सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया। इस संबंध में अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र का विरोध हुये दौराने बहस जाहिर किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को अभियुक्त से अवैध बजरी निर्गमन के मामले में जप्त किया गया है एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी प्रार्थी द्वारा वाहन की राशि जमा नहीं करवाया जाना अंकित है। प्रकरण में अभी आरोप पत्र पेश नहीं हुआ है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र के संबंध में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं केस डायरी व संबंधित मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। केस डायरी व पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर की ओर से FIR संख्या 202/2025 अपराध अंतर्गत धारा 305 (E) BNS व 4/21 MMDR ACT, 3 PDPP ACT, 146/196, 39/192 MV ACT में प्रार्थी के वाहन ट्रेक्टर रजि. संख्या RJ25 RC 9123 को जप्त किया गया है। इस संबंध में यह देखना अनिवार्य है कि सहायक खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग सवाई माधोपुर की ओर	

	से पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट सं. 2188 दिनांक 23.01.2026 के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन की जुर्माना राशि एवं एनजीटी राशि जमा नहीं करवाया जाना जाहिर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में भी उक्त प्रकृति के ही धारा 303(2) BNS व 4/21 MMDR ACT के दो प्रकरण दर्ज हैं जिनसे अभियुक्त का पूर्व में भी इसी प्रकार के अवैध खनन में लिप्त पाया जाना न्यायालय के समक्ष दर्शित होता है एवं हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थी की संलिप्तता होना प्रथम दृष्ट्या दर्शित है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड एवं इस संबंध में पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना युक्तियुक्त दर्शित नहीं होता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी बलराम पुत्र जगदीश प्रसाद की ओर से पेश हस्तगत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	